—::— छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

——————————— प्रधान—कार्यालय, 22, आनंद नगर, रायपुर ————————————

क्रमांक / छगवेका / स्था0 / संविदा / 2009—10 / 1253 रायपुर दिनांक :—18.08.09

सहायक यंत्री / उपयंत्री के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति बाबत् विज्ञापन

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर में राज्य स्तरीय संवर्ग के निम्नांकित पदों पर छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के इच्छुक एवं पात्र सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 15.09.09 तक आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्र0	संवर्ग / पदनाम	भर्ती के लिये रिक्त पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
01	अभियंता (सिविल)	02	सिविल इंजिनियरिंग में डिग्री एवं 03 वर्ष का निर्माण कार्य में अनुभव
02	उप—अभियंता (सिविल)	05	डिप्लोमा इन सिविल इंजिनियरिंग, निर्माण कार्य में 02 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता

शर्तें:—

01. इस नियुक्ति में छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 एवं तत्संबंध में छ0ग0 शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेश / शर्ते / निर्देश लागू होगें ।
02. छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जावे ।
03. पद के निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता / अनुभव न्यूनतम है और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही आवेदक नियुक्ति का हकदार नहीं होगा ।
04. आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर लें तथा विज्ञप्ति पद के लिये निर्धारित अर्हता / शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।
05. उम्मीदवार का चयन, चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार उपयुक्तता के आधार पर किया जावेगा ।
06. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो पूर्व हो, के लिये की जावेगी एवं कार्य की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा व्यक्ति के उपयुक्तता का आकंलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा, परंतु यह अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक के लिये दी जावेगी । संविदा अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।

07. संविदा नियुक्ति के मामले में सेवानिवृत्त के पूर्व में धारित पद के समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा ।

08. संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण, सेवानिवृत्त के समय देय मूलवेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराय भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता के योग में से पेंशन पर राहत की राशि घटा कर किया जावेगा ।

—2

09. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी ।

10. संविदा पर यात्रा भत्ता की पात्रता उसी प्रकार होगी, जैसा की सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी ।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगें ।

12. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

13. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।

14. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो, तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके ।

15. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो, तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45—क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी । उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी ।

16. (अ)आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होंगे अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य किया जा सकेगा।

(ब) आवेदन के साथ सेवानिवृत्त आदेश एवं पेंशन पेमेंट आर्डर की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(स)आवेदक अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ठ स्थान पर स्वयं के पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा करें/चिपकाएँ ।

(द) आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी का प्रमाण पत्र/अंक सूची एवं समस्त शैक्षणिक अर्हता हेतु अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(इ) विज्ञापित पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित संस्था/विभाग में कितने मासिक वेतन पर कब से कब तक कार्यरत रहे है एवं इस संबंध में नियोक्ता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

17. अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

18. आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज/विभागीय जॉच लंबित/आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग, रायपुर में प्रकरण दर्ज एवं न्यायालय में सेवाकाल के दौरान घटित घटना के संबंध में वाद चलने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा ।

(उमेश अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
छत्तीसगढ़ रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हाल ही का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाएं

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन,
22, आनंद नगर, रायपुर

01. आवेदित पद का नाम :–
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :–
    (अंग्रेजी में) :–
03. जन्म तिथि (अंकों में) :–
    (शब्दों में) :–
04. पिता/पति का नाम :–

05. वर्तमान डाक पता :–

    पत्र व्यवहार का पता :–

06. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जाति का उल्लेख करें :–

07. **सेवानिवृत्त पद का नाम**
    01. नियोक्ता नाम एवं पता :–
    02. कार्यरत संस्था का नाम :–
    03. सेवानिवृत्त पद का वेतनमान एवं प्राप्त अंतिम मूल वेतन :–
    04. सेवानिवृत्त पद में नियुक्ति का दिनांक :–
    05. सेवानिवृत्त पद से सेवानियुक्ति का दिनांक :–
    (आदेश की प्रति संलग्न करें)
    06. पेंशन पेमेन्ट आदेश क्र0 एवं दिनांक :–
    (आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)

08. **शैक्षणिक अर्हता:–**

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	विषय	श्रेणी	कुल प्राप्तांक	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07

—2

—2

09. **<u>सेवा अनुभव का संक्षिप्त विवरण</u>** :—

क्र0	सेवानिवृत्त पद का नाम	वेतनमान	प्राप्त मूल वेतन	अनुभव की अवधि दिनांक से दिनांक तक	कुल अवधि
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**

10.1 क्या आवेदक के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है — हॉ या नहीं ?

10.2 क्या आवेदक के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग में प्रकरण चल रहा है — हॉ या नहीं ?

10.3 क्या आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना मे प्रकरण दर्ज है, — हॉ या नहीं ?

10.4 क्या आवेदक के विरूद्ध विभागीय जॉच प्रकरण लंबित है,— हॉ या नहीं ?

11. शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।

14. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, — हॉ या नहीं ।

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूॅ कि मैने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तो को पढ़ लिया है, जहॉ तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सत्य है । त्रुटिपूर्ण एवं छिपाकर अथवा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा चयन / नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त / समाप्त की जा सकेगी । मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र मॉगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

<u>संलग्न सह पत्रों का विवरण</u>:—

01. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
02. पेंशन पेमेंट आर्डर की छायाप्रति
03. सेवानिवृत्त आदेश की छायाप्रति

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक

सहित

नाम

एवं पता